RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2611/2026

Udai Buildhome Pvt. Ltd.,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kamlakar Sharma, Sr. Adv. with Mr. Madhusudan Pruohit, Adv. Mr. Yogesh Kalla, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

अयाची क्रम–1 राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गई, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

अयाची क्रम–2/परिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण के निवेदनानुसार नोटिस दस्ती दिये जावें तथा यदि नोटिस पुलिस को प्राप्त होते हैं, तो उनके द्वारा आवश्यक रूप से तामील करवाई जायेगी।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण का निवेदन है कि परिवादी द्वारा मात्र यह आरोप लगाया है कि उसके द्वारा बुक करवाये गये भूखण्ड का अंतरण अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में नहीं किया गया। उनका यह भी निवेदन है कि परिवादी द्वारा रैरा में शिकायत की गई थी, जो लंबित है, विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, जिसमें पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि याची–अभियुक्तगण आज से पंद्रह दिवस में संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निरंतर अनुसंधान में सहयोग करे, इसी शर्त के अधीन पुलिस थाना–गांधी नगर, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–36/2026 में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर मात्र आगामी पेशी तक रोक लगाए जाने का अंतरिम आदेश दिया जाता है। यह आदेश परिवादी/अयाची क्रम–2 पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा।

प्रकरण तीन सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /76